



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2417 वर्ष 2026

टीकाराम

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: सुभाष सिंह यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष सिंह यादव के स्थान पर अस्थायी रूप से न्यायालय में उपस्थित होते हुए श्री पवन कुमार सिंह (ए.ओ.आर. ए/पी 0446/2015) तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याची का कथन है कि उसकी नियुक्ति दिनांक 31.10.2018 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर हुई थी, तथापि उसे अस्थायी पेंशन प्रदान की गई। याची को दिनांक 24.08.2021 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत एक आपराधिक वाद में दोषसिद्ध किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.09.2024 को अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपील स्वीकृत करते हुए दोषसिद्धि को यथावत रखा गया, किन्तु दंड में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थी-याची को जिला प्रोबेशन अधिकारी, चित्रकूट के समक्ष दो बांड क्रमशः ₹50,000/- एवं ₹5,000/- की राशि के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त पर प्रकरण व्यय के रूप में ₹5,000/- अधिरोपित किया गया, जो कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5(ख) के अंतर्गत है। याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याची पूर्ण पेंशन का अधिकारी है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि जब दोषसिद्धि यथावत है, तो केवल दंड में संशोधन किए जाने के आधार पर याची को पूर्ण पेंशन प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याची एक समग्र अभ्यावेदन, स्वप्रमाणित प्रति सहित रिट याचिका एवं इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 3, वित्त एवं नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के समक्ष दिनांक **27.02.2026** तक प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 3 याची के अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

18 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”